

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ए.एक्ट 1(4)(1)विविध/अभि./09/8206-35

दिनांक:- 21/7/2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश 7134-55 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम, द्वितीय एवं देहात के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार का विभाजन किया गया था। उक्त आदेश में निम्न प्रविष्टि को विलोपित किया जाता है :-

सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम

क्र. सं.	न्यायालय का वर्तमान नाम	न्यायालयों का नया नाम
12	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-14, जयपुर महानगर	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-11, जयपुर महानगर प्रथम

सहायक निदेशक अभियोजन प्रथम/द्वितीय /देहात में पदों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक ए. एक्ट1(4)(1)विविध/अभि./09/7781-7810 दिनांक 10.07.2020 में उक्त विलोपन के पश्चात् सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों तथा इनके अधीनस्थ कार्यालयों हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार से होगी :-

क्र. सं.	पदनाम	एडीपी प्रथम हेतु स्वीकृत पद		एडीपी द्वितीय हेतु स्वीकृत पद		एडीपी देहात हेतु स्वीकृत पद	
		पूर्व	नवीन	पूर्व	नवीन	पूर्व	नवीन
1.	सहायक निदेशक अभियोजन (प्रशासन)	1	1	1	1	1	1
2.	एडीपी विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक मामलात	4	0	0	4	0	0
3.	एडीपी विशेष न्यायालय जयपुर बम ब्लास्ट	1	0	0	1	0	0
4.	अभियोजन अधिकारी	12	15	13	10	10	10
5.	सहायक अभियोजन अधिकारी	33	28+1	32	35+1	17	17
6.	सूचना सहायक	1	1	1	1	1	1
7.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	1	1	1	1
8.	शीघ्र लिपिक	1	1	1	1	0	0
9.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	0	0	0
10.	अतिरिक्त प्रशासनिक	1	1	2	2	1	1

SH

	अधिकारी						
11.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	8	4	2	6	3	3
12.	वरिष्ठ सहायक	11	14	13	10	10	10
13.	कनिष्ठ सहायक	35	31	35	39	20	20
14.	जमादार	1	1	1	1	1	1
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	46	46	43	43	31	31
	योग	157	146	145	156	96	96

नोट :- अधिकारियो / कार्मिको के पदस्थापन के संबंध मे आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।



(वी.सरवन कुमार)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम/द्वितीय।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. पलिस आयुक्त, जयपुर।
4. पलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक जयपुर जिला।
6. अनुभागधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (अभियोजन सेवा)/ (न्यायिक सेवा), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव/संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
9. उप निदेशक अभियोजन(मु.)/ सहायक निदेशक अभियोजन(मु.)/(सर्तकता), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
10. उप निदेशक अभियोजन ,जयपुर प्रथम।
11. सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम/द्वितीय।
12. सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर देहात को भेजकर लेख है कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,चौमू, जयपुर जो पूर्व मे आपके क्षेत्राधिकार मे था , उक्त न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूर्वानुसार ही रहेगा।
13. समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।



निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर